प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**..............
2. प्र.इ.रि.सं. 207 /**2022**.............. दिनांक ....27/5/2022..................................
   (I) * अधिनियम – ...**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा ...7,7ए..........
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....120बी..
   (III) * अधिनियम..............................–.............................. धाराएं....................–..........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....555........समय.............8.05 PM,..............
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– .... **दिनांक 25.05.2022 वक्त 06:35 पी.एम**................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....25.05.2022...
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **सूत्र सूचना** (मौखिक)
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –**बजानिब उतर पश्चिम करीब 86 किलोमीटर**
   (ब) पता – तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–................................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री महावीर प्रसाद शर्मा,
   (ब) पिता/पति का नाम –
   (स) जन्म तिथि/आयु –
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा –
   (ल) पता – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो(एसयू),बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री कुलदीप पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी गांव उतरादा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल तहसीलदार छतरगढ जिला बीकानेर
   2. श्री राजेश शर्मा नायब तहसीलदार छतरगढ जिला बीकानेर
   3. श्री इरफान भाटी पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल भाटी उम्र 34 साल निवासी दाउजी रोड, सिपायों का मौहल्ला, बीकानेर हाल सूचना सहायक कम कैशियर तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर
   4. श्री पवन कुमार पुत्र धनराज निवासी वार्ड नम्बर 11 छतरगढ जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....274400/– रूपये भारतीय मुद्रा...............
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि 25.05.2022 वक्त 01:20 पीएम पर मन् महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर को गोपनीय सूत्र से सूचना मिली कि तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर में होने वाली रजिस्ट्रीयों मे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कैशियर तथा कम्प्युटर ऑपरेटर आपस में मिलीभगत कर अवैध रूप में रिश्वत के रूप में कमिशन राशि ले रहे है तथा कैशियर के पास करीब चार से पांच लाख रूपये मिलने की सम्भावना है। सूत्र सूचना विश्वसनीय है, माननीय न्यायालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त करने में समय लगने से मौके से रिश्वत राशि व महत्वपूर्ण सबुत खुर्द बुर्द किये जाने की पूर्ण सम्भावना के मध्य नजर बिना वारण्ट तलाशी कर आकस्मिक चैकिंग की जानी आवश्यक है। उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों को जरिये दुरभाष हालात निवेदन किये जाकर आकस्मिक चैकिंग की अनुमति प्राप्त की गई। श्री जमील अहमद कानि 147 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि बीकानेर के नाम की तहरीर देकर गवाहान तलबी हेतु रवाना किया गया। श्री जमील अहमद कानि 147 के साथ श्री हेमंत कुमार श्रीमाली कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जिला खण्ड द्वितीय बीकानेर व श्री सुमित देवडा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जिला खण्ड द्वितीय बीकानेर उपस्थित आये। उक्त दोनों को सूत्र सूचना के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर दोनों गवाहान को कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान के रूप में शामिल रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनों द्वारा सहमति प्रदान की गई। ब्यूरो स्टाफ सर्वश्री दिलीप कुमार खत्री पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम हैड कानि 71, योगेन्द्रसिंह कानि 482, जमील अहमद कानि 147 को कक्ष में तलब कर सूत्र सूचना के तथ्यों से अवगत करवाया गया।

वक्त 03:25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री हेमंत कुमार श्रीमाली, श्री सुमित देवडा, ब्यूरो स्टाफ सर्वश्री दिलीप कुमार खत्री पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम हैड कानि 71, योगेन्द्रसिंह कानि 482, जमील अहमद कानि 147 जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8794 मय चालक पृथ्वीराम कानि चालक 630 लैपटोप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री सहित आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही हेतु छतरगढ के लिए रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान सहित छतरगढ तहसील कार्यालय से थोडा आगे पहुंचकर गाडी रूकवाकर श्री योगेन्द्रसिंह कानि को तहसीलदार, कैशियर व कम्प्युटर ऑपरेटर तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर में उपस्थिति बाबत पता करने के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने जरिये दुरभाष बताया कि तहसीलदार, कैशियर व कम्प्युटर ऑपरेटर तहसील कार्यालय छतरगढ में उपस्थित है। जिस पर वक्त 06:35 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री हेमंत कुमार श्रीमाली, श्री सुमित देवडा, ब्यूरो स्टाफ सर्वश्री दिलीप कुमार खत्री पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम हैड कानि 71, योगेन्द्रसिंह कानि 482, जमील अहमद कानि 147 जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8794 मय चालक पृथ्वीराम कानि चालक 630 लैपटोप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री के तहसील कार्यालय छतरगढ पहुंच तहसील कार्यालय में प्रवेश हुआ तो तहसील कार्यालय गेलेरी में पश्चिम साईड के अन्तिम कमरे को ताला बन्द कर एक व्यक्ति सामने आ रहा था जिसको रोककर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम इरफान भाटी पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल भाटी उम्र 34 साल निवासी दाउजी रोड, सिपायों का मौहल्ला, बीकानेर हाल सूचना सहायक कम कैशियर तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर होना बताया। उप रजिस्ट्रार कार्यालय लिपिक का कार्य जुलाई 2020 से है तथा दस्तावेज पंजियन सम्बन्धित कार्य करता हूं। श्री इरफान भाटी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आने का उद्देश्य बताया तथा कैशियर कक्ष की चाबी पुछी तो उसने बताया कि कैशियर कक्ष की चाबी मेरे पास है लेकिन मैं कैशियर कक्ष तहसीलदारजी के सामने ही खोलूंगा। जिस पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि को भेजकर तहसीलदार छतरगढ को बुलाया तो योगेन्द्रसिंह कानि के साथ एक व्यक्ति उपस्थित आया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कुलदीप पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी गांव उतरादा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल तहसीलदार छतरगढ होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराहियान की जामा तलाशी का कहने पर श्री कुलदीप तहसीलदार/इरफान भाटी कैशियर ने सन्तुष्टि जाहिर की।

श्री कुलदीप तहसीलदार व गवाहान की उपस्थिति में श्री इरफान भाटी को कैशियर कक्ष खोलने का कहा तो श्री इरफान भाटी ने अपनी जेब से चाबी निकालकर कैशियर कक्ष खोला। श्री इरफान भाटी को स्वयं के पास व कैशियर कक्ष में राशि बाबत पूछा तो बताया कि मेरी जेब में 15500 रूपये है जिसमें से 12000 रूपये मैंने मेरी पत्नी से कल लिये थे। कैशियर कक्ष में सरकारी राशि है उसके अलावा कोई राशि नहीं है। जिस पर तहसीलदार, दोनों गवाहान, ब्यूरो स्टाफ व श्री इरफान भाटी को साथ लेकर कैशियर कक्ष तहसील छतरगढ में प्रवेश हुआ। उक्त कमरे में गेट के समाने एक टेबिल रखी है तथा उस टेबिल पर दो पीठू बैग पडे है। इरफान भाटी ने बताया कि 39200 रूपये सरकारी राशि टेबिल की दराज में रखी है। श्री इरफान भाटी ने टेबिल की दराज से निकालकर 39200 रूपये पेश किये और बताया कि उक्त राशि के अलावा कोई राशि नहीं है। पूछने पर टेबिल पर पडे स्लेटी रंग के पीठू बैग जिस पर BAG-AGE लिखा है जो स्वयं का व दुसरा पीठू बैंक बरंग गहरा आसमानी कम्प्युटर ऑपरेटर पवन कुमार निवासी छतरगढ का होना बताया। जिस पर श्री इरफान भाटी के बैग की तलाशी दोनों गवाहान से लिवाई गई तो उसमें 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000/– रूपये व एक चाबी मिली। राशि के बारे में पुछने पर इरफान भाटी ने बताया कि इस राशि की मेरे को जानकारी नहीं है हो सकता है मेरी पत्नी ने रखी हो तथा चाबी मेरे छतरगढ वाले मकान की है जो पटवार कॉलोनी में है। दुसरे बैग आसमानी कलर की तलाशी गवाहान से लिवाई गई तो उसमें एसबीआई बैंक खाता नम्बर 20290331790 जो पवन कुमार पुत्र धनराज निवासी वार्ड नम्बर 11 छतरगढ जिला बीकानेर के नाम होनी पाई गई। एक एसबीआई छतरगढ की चैक बुक खाता नम्बर 61196716898 सुरजपाल पुत्र धनराज निवासी छतरगढ की पाई गई। राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का मरूधरा रूपे कार्ड नम्बर 6075 0909 1100 0949 मिला। एक एसबीआई का वीजा कार्ड जिस पर इण्डियन ऑयल अंकित है जिस पर नम्बर 4121 5100 1103 5783 अंकित है। अशोक कुमार पुत्र हरिकिशन प्रजापत निवासी चक 06 एसटीएम विदाउट सीएडी ढाणी में घरेलू विद्युत कनेक्शन की पत्रावली मिली। इस बैग के बारे में पूछने पर बताया कि पवन कुमार द्वारा बैग सुरक्षा के लिए कैशियर कक्ष में रखा था। श्री इरफान भाटी की जामा तलाशी गवाह श्री हेमंत कुमार श्रीमाली से लिवायी गई तो जामा तलाशी में एक पर्स, एक मोबाईल ओपो कम्पनी का तथा दो सफेद पन्नों पर हिसाब किताब लिखा मिला। जामा तलाशी में मिले पर्स को दोनों गवाहान से चैक करवाया गया तो पर्स में 15540 रूपये, इरफान भाटी के नाम का निर्वाचन आयोग का वोटर आईडी, ड्राईविंग लाईसेंस, इरफान भाटी के नाम एसबीआई गोल्ड डेबिट कार्ड नम्बर 5422 2500 1239 4227, इरफान भाटी के नाम एसबीआई कार्ड वीजा प्लेटिनम नम्बर 4335 8878 5569 2628, तहसीलदार छतरगढ द्वारा जारी श्री इरफान भाटी का परिचय पत्र, यूको बैंक खाता नम्बर 08660110057100 दिनांक 7.8.2019 को शबनम के खाते में 9000 रूपये जमा पर्ची, एसबीबीजे खाता नम्बर 51102573488 निलोफर समेजा के नाम में दिनांक 25.02.2016 को एक लाख रूपये जमा की पर्ची, निलोफर समेजा के नाम बजाज फिनसर्व का कार्ड नम्बर 2030 4000 8616 8699, आरसी कार स्वीफ्ट वीएक्सआई नम्बर आरजे 07 सीडी 3839, इरफान भाटी के नाम पेन कार्ड नम्बर बीएचडीपीबी0780पी, 100 दिरहम के दो नोट(यूएई की मुद्रा) मिली। जामा तलाशी में मिले हिसाब किताब के कागज के बारे में पूछने पर इरफान भाटी ने बताया कि यह कागज मुझे पवन कम्प्युटर ऑपरेटर ने दिये थे जो मैंने अपनी जेब में रख लिये। पवन कम्प्युटर ऑपरेटर प्राईवेट व्यक्ति है जो हमारे कम्प्युटर कार्य में सहयोग करता है। पर्स में मिली राशि 15500 के बारे में पूछने पर इरफान भाटी ने बताया कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि 12000 रूपये मेरी पत्नी से कल लिये थे तथा 3500 रूपये मेरे पास पूर्व से थे। मेरी पत्नी निलोफर समेजा फार्मासिस्ट है जो एसपी मेडीकल कॉलेज बीकानेर के अधीन ड्रग वेयर हाउस बीकानेर में कार्यरत है तथा मेरे मोबाईल में सिम नम्बर 6376720623 जीओ व 8104086298 वोडाफोन है। कैशियर कक्ष की तलाशी ली गई तो टेबिल की दांयी व बांयी दराज में भारतीय मुद्रा के 100–100, 200–200, 500–500 व 2000–2000 रूपये के नोट अलग अलग बण्डल में मिले। जिनको दोनों गवाहान से गिनवाया गया तो निम्नानुसार नोट पाये गये –

क्र.सं.	नोटों का विवरण	नोटों की संख्या	कुल राशि
01	2000 रूपये के नोट	7	14,000
02	500 रूपये के नोट	286	1,43,000
03	200 रूपये के नोट	87	17,400
04	100 रूपये के नोट	450	45,000

योग	2,19,400

उपरोक्त मिली राशि बाबत पूछने पर श्री इरफान भाटी कुछ नहीं बोला व नीचे देखने लगे। पुनः सात्वना देकर पूछने पर बताया कि इस राशि बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है। मौके पर उपस्थित श्री कुलदीप तहसीलदार छतरगढ की जामा तलाशी गवाहान से करवायी गई तो कोई आपजिनक सामान/वस्तु नहीं पायी गई। श्री कुलदीप तहसीलदार ने पूछने पर बताया कि मैं 24 जनवरी 2020 से तहसीलदार छतरगढ के पद पर पदस्थापित हूं। श्री इरफान भाटी कैशियर का कार्य मेरे पदस्थापन से पूर्व से कर रहा है। श्री पवन कम्प्युटर ऑपरेटर मेरे पदस्थापन से पूर्व से तहसील कार्यालय छतरगढ में कम्प्युटर ऑपरेटर का कार्य करता है। इसको तहसील द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। कैशियर कक्ष में टेबिल की दराज से मिली राशि की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त कमरा व टेबिल कैशियर की है तथा इरफान भाटी ही बतौर कैशियर काम करता है वो ही बता सकता है। मैं आज राणेर गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान में गया हुआ था तथा आज पंजियन का कार्य श्री राजेश शर्मा नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है। पंजियन का कार्य नायब तहसीलदार द्वारा ही किया जाता है, उनकी अनुपस्थिति में मेरे द्वारा पंजियन का कार्य किया जाता है। पंजियन के लिए आवेदक स्टाम्प, ऑन लाईन के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस आदि का भुगतान करता है तहसील कार्यालय में नगद पंजियन शुल्क नहीं लिया जाता है। मेरे द्वारा पंजियन में किसी से कोई कमिशन के रूप में राशि प्राप्त नहीं की गई है, ना मेरे द्वारा इरफान भाटी व पवन को कमिशन की राशि लेने के लिए नहीं कहा था। इरफान भाटी के पास मिले हिसाब किताब के कागजों के बारें में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कार्यवाही के दौरान श्री राजेश शर्मा नायब तहसीलदार व पवन कम्प्युटर ऑपरेटर के मोबाईल नम्बर तहसीलदार से लिये जाकर श्री राजेश शर्मा के मोबाईल नम्बर 9929475419 व पवन मोबाईल नम्बर 96807723423 पर सम्पर्क के प्रयास किये गये परन्तु सम्पर्क नहीं हुआ, ना ही कार्यालय परिसर में उपस्थित मिले। पवन की पतारसी हेतु पुलिस थाना छतरगढ के माध्यम से भी प्रयास किये गये परन्तु पवन घर पर नहीं मिला। कार्यवाही के दौरान इरफान भाटी के बीकानेर स्थित आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तहसील कार्यालय की कैशबुक का अवलोकन किया गया तो दिनांक 25.04.2022 को 39200 रूपये अन्तिम इन्द्राज किया हुआ है। श्री इरफान भाटी ने बताया कि उक्त इन्द्राज मेरे द्वारा कैशबुक में किया गया है जिसे श्री कुलदीप तहसीलदार छतरगढ द्वारा प्रमाणित किया गया है जिससे 39200 रूपये सरकारी राशि होने की ताईद हुई। कार्यवाही के दौरान दिनांक 16.05.2022 से 25.05.2022 तक रजिस्टर्ड डोक्यूमेंट रिपोर्ट कम्प्युटर से निकलवाकर प्राप्त किये जाकर अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि उक्त रिपोर्ट में अंकित डोक्यूमेंट नम्बर के अन्तिम चार संख्या इरफान भाटी की जेब में मिले सफेद पन्ने पर लिखे हिसाब में अंकित है। इरफान भाटी की जेब से मिले सफेद पन्ने पर हिसाब किताब बाबत इरफान भाटी से पुनः पुछा तो बताया कि डोक्यूमंट नम्बर के अन्तिम चार अक्षर मेरे पास मिले दोनों कागजों पर अंकित है उनके पहले कोड में रजिस्ट्री दस्तावेज पेश करने वाले वकीलों/स्टाम्प वैंडर के नाम अंकित है तथा आगे राशि अंकित है। उक्त पर्ची पवन तैयार करता है इसलिए वकीलों/स्टाम्प वैंडर के नाम कोड में वहीं अंकित करता है। इरफान भाटी का जबाब सन्तोषप्रद नहीं होने से जामा तलाशी में मिली राशि 15540 में से 15000, स्लेटी रंग के पीठू बैग जिस पर BAG-AGE लिखा है, में मिली राशि 40000 व टेबिल की दराज में मिली राशि 2,19,400 कुल 2,74,400 रूपये व इरफान भाटी की जामा तलाशी में मिले दो सफेद कागज जिन पर हिसाब किताब लिखा है व तहसील कम्प्युटर से निकलवाकर प्राप्त की गई रजिस्टर्ड डोक्युमेंट रिपोर्ट किता 09 पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त के अलावा अन्य कोई वस्तु/कागजात कब्जे में नहीं ली गई है। इरफान भाटी की जामा तलाशी में मिली राशि 15540 में से 540 रूपये खर्चे के लिए व पर्स व पर्स में मिले दस्तावेज/कार्ड/विदेशी मुद्रा व मोबाईल फोन इरफान भाटी को लौटाये गये। राशि 39200/-- सरकारी होने से वापिस सुरक्षित इरफान के जरिये सुरक्षित टेबिल की दराज में रखवाये गये। कैशियर कक्ष का ताला श्री इरफान भाटी से बन्द करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराहियान की जामा तलाशी का कहने पर श्री कुलदीप तहसीलदार/इरफान भाटी कैशियर ने पुनः सन्तुष्टि जाहिर की। श्री इरफान भाटी के क्वार्टर की खाना तलाशी ली गई। श्री कुलदीप तहसीलदार के छतरगढ स्थित सरकारी आवास की खाना तलाशी ली गई। आरोपी इरफान भाटी को गिरफ्तार किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों गवाहान, ब्यूरो स्टाफ,

गिरफ्तारशुदा इरफान भाटी व जप्तशुदा राशि व कागजात, लैपटोप प्रिन्टर सहित जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री पृथ्वीराम के छतरगढ से बीकानेर के लिए रवाना होकर एसीबी एसयू बीकानेर कार्यालय पहुंचा। जप्त राशि 274400 रूपये जरिये राजेश कुमार मुख्य आरक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी श्री इरफान भाटी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया।

इस प्रकार प्राप्त सूत्र सूचना की पुष्टि हेतु की गई अब तक की आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही, बरामद रिश्वत राशि व उक्त रिश्वत राशि के हिसाब किताब से सम्बन्धित कागजातों व तहसील कार्यालय छतरगढ में दिनांक 16.05.2022 से 25.05.2022 तक हुई रजिस्ट्रीयों की सूची में कागजात संख्या का रिश्वत हिसाब किताब सम्बन्धित कागजातों में अंकित विवरण से मिलान किया गया तो पाया गया कि उक्त रिपोर्ट में अंकित डोक्यूमेंट नम्बर की अन्तिम चार संख्या इरफान भाटी की जेब में मिले सफेद पन्नों पर लिखे हिसाब में भी अंकित है तथा उस संख्या के आगे राशि भी अंकित है तथा कुछ के आगे फ्री अंकित है जिससे स्पष्ट है कि आरोपियों द्वारा किये गये पंजियन दस्तावेजों के अनुसार प्राप्त रिश्वत राशि का विवरण बरामद हिसाब किताब के कागजतों में अंकन किया गया है। बरामद कागजों में दिनांक 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 23/5, 24/5 में हिसाब किताब अंकित है तथा दिनांक 25/5 अंकित है परन्तु उसके नीचे हिसाब किताब अंकित नहीं है जो सम्भवत पंजियन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लिखा जाना था उससे पूर्व ब्यूरो द्वारा आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही कर ली गई थी। इसी प्रकार आरोपी इरफान भाटी को एसीबी द्वारा कैशियर कक्ष को खोलने का कहने पर इरफान भाटी द्वारा तहसीलदार की उपस्थिति में ही कक्ष खोलने की बात कही जबकि वह जानता था कि उक्त कक्ष में रिश्वती राशि रखी है फिर भी तहसीलदार से डरने की बजाय उनकी मौजूदगी में कैशियर कक्ष खोलना इरफान भाटी व तहसीलदार कुलदीप की आपसी मिलीभगत दर्शाता है। इरफान भाटी सूचना सहायक होते हुए भी उसको उप पंजीयक लिपिक व कैशियर का चार्ज देना, कैशियर कक्ष में बडी मात्रा में टेबिल की दराजों में रिश्वती राशि मिलना मात्र इरफान भाटी व पवन कुमार की अपने स्तर की कार्यवाही ना होकर तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मिलीभगत से कैशियर कक्ष को सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग करने में उक्त चारों की मिलीभगत को दर्शाता है। तहसीलदार कुलदीप, नायब तहसीलदार राजेश शर्मा व इरफान भाटी सूचना सहायक कम कैशियर द्वारा आपसी मिलीभगत कर पवन कुमार प्राईवेट कम्प्युटर ऑपरेटर को लम्बे समय से बिना किसी राजकीय आदेश के उससे सरकारी कार्य करवा रहे थे जो उक्त तीनों की पवन कुमार से मिलीभगत दर्शाता है। तहसील कार्यालय छतरगढ में रजिस्ट्री हेतु दस्तावेज स्वयं पार्टी, उसके वकील व गवाहों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार व नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर पेश किये जाते है। उक्त दस्तावेजों में पंजियन हेतु कमिशन के रूप में उनके अधीनस्थ कम्प्युटर ऑपरेटर/पंजियन लिपिक/कैशियर द्वारा ली गई रिश्वत राशि का ज्ञान तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नहीं हो ऐसा सम्भव नहीं है जो इन चारों की मिलीभगत को दर्शाता है। रिश्वत राशि प्राप्त कर दिनांक व दस्तावेज नम्बर के अनुसार रिश्वत राशि का हिसाब किताब रखना, रिश्वत राशि को कैशियर कक्ष में अलग अलग बण्डलों के रूप में रखना, इरफान के बैग से राशि मिलना, पवन कुमार का बैग भी कैशियर कक्ष में मिलना, ये सभी तथ्य चारों की मिलीभगत व उक्त रिश्वत राशि को सावधानी पूर्वक बटवारा कर प्राप्त करने की मंशा को दर्शित करता है।

अतः अब तक की कार्यवाही, प्राप्त दस्तावेजों व प्रकट तथ्यों से श्री कुलदीप तहसीलदार, श्री राजेश शर्मा नायब तहसीलदार, श्री इरफान भाटी सूचना सहायक कम कैशियर तहसील कार्यालय छतरगढ व श्री पवन कुमार प्राईवेट कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा आपसी मिलीभगत कर षड़यन्त्र पूर्वक अपने अपने पदों का दुरूपयोग कर तहसील कार्यालय छतरगढ में पेश होने वाली रजिस्ट्रीयों के पंजियन की एवज में कमिशन के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध कारीत करना पाया गया है। अतः श्री कुलदीप पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी गांव उतरादा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल तहसीलदार छतरगढ जिला बीकानेर, श्री राजेश शर्मा नायब तहसीलदार छतरगढ जिला बीकानेर, श्री इरफान भाटी पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल भाटी उम्र 34 साल निवासी दाउजी रोड, सिपायों का मौहल्ला, बीकानेर हाल सूचना सहायक कम कैशियर तहसील कार्यालय छतरगढ जिला बीकानेर व श्री पवन कुमार पुत्र धनराज निवासी वार्ड नम्बर

11 छतरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन एवं पंजीयन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अति.पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो–एस.यू.
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री कुलदीप सिंह, तहसीलदार, छतरगढ़ 2.श्री राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार, छतरगढ़ 3.श्री इरफान भाटी, सूचना सहायक कम कैशियर, तहसील कार्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर एवं 4.श्री पवन कुमार पुत्र श्री धनराज, निवासी वार्ड नम्बर 11, छतरगढ़, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 207/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक 1833-38 दिनांक 27.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

27.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।